पारिवारिक न्यायालय, कुचामन, जिला डीडवाना–कुचामन।

पीठासीन अधिकारीः– कुसुम सुत्रकार, **आर.जे.एस.**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

प्रार्थना पत्र सं. (एच.एम. एक्ट):– **141/2025**

CIS NO**:-** **141/2025**

1. श्रीमती सुशीला पत्नी मुकेश, पुत्री छोटूराम, निवासी जसराणा, तहसील कुचामन, हाल निवासी खाखड़की, तहसील नावां, जिलाः डीडवाना–कुचामन।

2. मुकेश पुत्र नारायण राम, निवासी जसराणा, तहसील कुचामन, जिलाः डीडवाना–कुचमान(राज.)।

––प्रार्थीगण

बनाम

निल

::–उपस्थितः–

1. प्रार्थी संख्या–1 की ओर से	–	अधिवक्ता श्री विनोद सिंह राठौड़।
2. प्रार्थी संख्या–2 की ओर से	–	अधिवक्ता श्री विनोद सिंह राठौड़।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 13–बी हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

दिनांक : 01–06–2026

–:: आदेश ::–

1. इस आदेश के जरिये प्रार्थीगण श्रीमती सुशीला व मुकेश की ओर से संयुक्त रूप से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 13–बी हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 का निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर यह अभिकथित किया गया है कि प्रार्थीगण का विवाह हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार दिनांक **14–11–2021** को ग्राम खाखड़की, तहसील कुचामन में सप्तपदी के अनुसार सम्पन्न हुआ था। विवाह के उपरान्त प्रार्थीगण के वैवाहिक जीवन से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। विवाह के पश्चात् प्रार्थीगण के बीच वैचारिक मतभेद होने के कारण प्रार्थीगण का पति–पत्नी के रूप में साथ रहना असम्भव होने के कारण प्रार्थीगण **सितम्बर, 2024**

से पृथक–पृथक निवास कर रहे है। अब प्रार्थीगण का साथ रहकर दाम्पत्य जीवन निर्वहन करने की कोई सम्भावना नहीं है।

3. प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में आगे यह वर्णित किया है कि प्रार्थी संख्या–1 श्रीमती सुशीला ने भरण पोषण की सम्पूर्ण राशि व स्त्रीधन प्रार्थी संख्या–2 मुकेश से प्राप्त कर लिया है। भरण–पोषण व स्त्रीधन को लेकर पक्षकारों के मध्य कोई विवाद शेष नहीं है। इसलिए दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से विवाह विच्छेदित करने का निवेदन किया है।

4. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पक्षकारान के मध्य समझाईश की गई एवं मध्यस्थता के जरिये भी समझाईश के प्रयास किये गये, परन्तु समझाईश असफल रही। प्रार्थीगण पढ़े–लिखे नौजवान है। उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए **अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर** व **निखिल कुमार बनाम रूपाली कुमार** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार समयावधि में शिथिलता प्रदान की गई।

5. साक्ष्य प्रार्थी में प्रार्थीगण की ओर से गवाह ए.ड.–1 श्रीमती सुशीला व ए.ड.–2 मुकेश को पेश कर परीक्षित कराया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 प्रार्थीगण के विवाह का कार्ड, प्रदर्श–2 प्रार्थी संख्या–1 श्रीमती सुशीला का आधार कार्ड, प्रदर्श–3 विवाह–विच्छेद इकरारनामा, प्रदर्श–4 प्रार्थी संख्या–2 मुकेश का आधार कार्ड को प्रदर्शित कराया गया।

6. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से तर्क रहा है कि प्रार्थीगण का पति–पत्नी के रूप में साथ रहना संभव नहीं है। समझाईश भी असफल हो गई है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करने का निवेदन किया।

7. न्यायालय के समक्ष अवधारणीय प्रश्न है कि :–

"आया प्रार्थीगण का विवाह दिनांक 14–11–2021 को सम्पन्न होने के पश्चात सितम्बर, 2024 से अलग–अलग रह रहे है। वे एक साथ नहीं रह सकते हैं तथा दोनों इस बात के लिए सहमत हो गये हैं कि विवाह विघटित कर देना चाहिए?"

8. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी संख्या–1 श्रीमती सुशीला का विवाह दिनांक 14–11–2021 को ग्राम खाखड़की, तहसील कुचामन में सप्तपदी के अनुसार प्रार्थी संख्या–2 मुकेश के साथ सम्पन्न हुआ। प्रार्थना पत्र के उक्त तथ्यों का सही होना प्रार्थीगण द्वारा शपथ–पत्र में बताया गया है। मौखिक साक्ष्य में भी गवाह ए.ड.–1 श्रीमती सुशीला व ए.ड.–2 मुकेश ने दोनों के मध्य विवाह दिनांक **14–11–2021** को सम्पन्न होना बताया है। साथ ही प्रार्थीगण ने प्रदर्श–1 प्रार्थीगण के विवाह का कार्ड, प्रदर्श–2 प्रार्थी संख्या–1 श्रीमती सुशीला का आधार कार्ड, प्रदर्श–3 विवाह–विच्छेद इकरारनामा, प्रदर्श–4 प्रार्थी संख्या–2 मुकेश के आधार को प्रदर्शित करवाया है। अतः उक्त तथ्यों एवं साक्ष्य के अनुसार दोनों का पति–पत्नी होकर विवाह दिनांक **14–11–2021** को होने का तथ्य साबित होना पाया जाता है।

9. प्रार्थना पत्र के अनुसार दोनों पक्षकारान वर्तमान में अलग–अलग रह रहे हैं व दोनों का पति–पत्नी के रूप में रहना भविष्य में संभव नहीं है। मौखिक साक्ष्य में गवाह ए.ड.–1 श्रीमती सुशीला व ए.ड.–2 मुकेश ने **करीब डेढ़ वर्ष** से वैचारिक मतभेद होने से अलग–अलग रहना बताया है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र के उपरोक्त तथ्यों का समर्थन मौखिक साक्ष्य से होता है।

10. दोनों के मध्य समझाईश असफल होने के बिन्दू पर यह उल्लेखनीय है कि दोनों के मध्य सामाजिक स्तर पर व परिवारजनों द्वारा समझाईश

किए जाने पर भी दोनो के वैचारिक मतभेद खत्म नहीं हुए, उनका साथ रहना संभव नहीं है। न्यायालय में उपस्थित होने के समय भी दोनो पक्षों के मध्य समझौते के प्रयास किए गए लेकिन दोनों पक्षो में समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होने का तथ्य साबित होता है।

11. पत्रावली पर आई साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि **दोनों प्रार्थीगण एक साथ नहीं रह सकते हैं** तथा इस बात के लिए सहमत हो गये हैं कि विवाह विघटित कर देना चाहिए। इस संबंध में प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थीगण का और अधिक समय तक पति–पत्नी के संबंध को बनाये रखना संभव नहीं है। प्रार्थीगण **करीब डेढ़ वर्ष** से अलग–अलग रह रहे हैं। मौखिक साक्ष्य में गवाह ए.ड.–1 श्रीमती सुशीला व गवाह ए.ड.–2 मुकेश ने दोनों के मध्य वैचारिक मतभेद होना बताया है। दोनों के मध्य कोई लेन–देन शेष नहीं होना बताया है। साथ ही गवाहान ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया है कि वैचारिक मतभेद के कारण साथ रहना संभव नहीं है, जिससे प्रकट है कि दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। साथ ही आपसी सहमति से पेश प्रार्थना पत्र के तथ्यों की ताईद की गई है।

12. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रकट है कि दोनों प्रार्थीगण के मध्य दुरभिःसंधि नहीं है। इस संबंध में प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि प्रार्थीगण के मध्य कोई दुरभिःसंधि नहीं है। मौखिक साक्ष्य में गवाह ए.ड.–1 श्रीमती सुशीला व ए.ड.–2 मुकेश के कथनों से स्पष्ट है कि उनके मध्य कोई दुरभिःसंधि नहीं है। अतः अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्य के अनुसार दोनों के मध्य दुरभिःसंधि नहीं होना प्रकट होता है।

13. अतः उपरोक्त निष्कर्षानुसार प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत याचिका अंतर्गत धारा 13बी हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:–आदेशः–

14. अतः प्रार्थीगण की ओर से संयुक्त रूप से प्रस्तुत याचिका अंतर्गत धारा 13 बी हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 पारस्परिक सहमति के आधार पर स्वीकार की जाकर आदेश दिया जाता है कि श्रीमती सुशीला पत्नी मुकेश, पुत्री छोटूराम, निवासी जसराणा, तहसील कुचामन, हाल निवासी खाखड़की, तहसील नावां, जिलाः डीडवाना–कुचामन, मुकेश पुत्र नारायण राम, निवासी जसराणा, तहसील कुचामन, जिलाः डीडवाना–कुचमान(राज.) के मध्य सम्पन्न हुए विवाह दिनांक **14–11–2021** को आज दिनांक 01–06–2026 से विघटित किया जाता है। उपरोक्तानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

15. हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 23(4) के तहत आदेश की प्रति दोनों प्रार्थीगण को निःशुल्क दी जावे।

(कुसुम सुत्रकार)
न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय,
कुचामन, जिला–डीडवाना–कुचामन।

16ण निर्णय आज दिनांक 01–06–2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित मुद्रांकित कर प्रसारित किया गया।

(कुसुम सुत्रकार)
न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय,
कुचामन, जिला–डीडवाना–कुचामन।